रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 1986/कार्तिक 28, 1908
No. 472] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER. 19, 1986/KARTIKA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्य प्राणी विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 844 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अधीन गठित जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "सरकारी विश्लेषक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे धारा 13 के अधीन नियुक्त किया गया है या उस रूप में मान्यता दी गई है;

(ङ) किसी कारखाने या परिसर के संबंध में "व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति, अधिभोगी या उसका अभिकर्ता अभिप्रेत है जिसका कारखाने या परिसर के काम-काज पर नियंत्रण है और किसी पदार्थ के संबंध में, ऐसा व्यक्ति इसके अन्तर्गत आता है जिसके कब्जे में वह पदार्थ है;

(ङ) "प्रतिग्राहिता प्रणाली" से पर्यावरण का वह भाग जैसे कि मिट्टी, जल, वायु या अन्य जो प्रदूषकों को प्राप्त करता है, अभिप्रेत है;

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "मानक" इन नियमों के अधीन विहित मानक अभिप्रेत है;

(ञ) "राज्य बोर्ड" से जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन गठित राज्य बोर्ड या वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 5 के अधीन गठित राज्य बोर्ड अभिप्रेत है ।

3. पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के लिए मानक :

(1) पर्यावरण की क्वालिटी या संरक्षण और सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण का निवारण और उपशमन करने के प्रयोजनों के लिए उद्योगों, संक्रियाओं या प्रसंस्करणों से, पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के लिए मानक वे होंगे जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु जहां कतिपय शर्तें विनिर्दिष्ट करने के पश्चात् केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा उद्योग, संक्रिया या प्रसंस्करण को पर्यावरण प्रदूषकों का अभिक्रमण करने के लिए जिससे कि वे इन नियमों के अधीन विहित मानक तक लाए जा सकें, कालबद्ध कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए समय स्वीकृत किया गया है और जहां ऐसा उद्योग, संक्रिया या प्रसंस्करण केन्द्रीय या राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे अनुबंधों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए ऐसे कालबद्ध कार्यक्रम की ऐसी अवधि के दौरान विहित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का निस्सारण करते हैं, वहां ऐसे निस्सारण को अधिनियम के अधीन अपराध नहीं माना जायेगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड विशिष्ट उद्योग, संक्रिया या प्रसंस्करण की बाबत प्रतिग्राहिता प्रणाली की क्वालिटी पर निर्भर करते हुए और उनके लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, अनुसूची में उपबंधित मानकों से अधिक कड़े मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

4. निदेश : (1) धारा 5 के अधीन जारी किया गया कोई निदेश लिखित रूप में होगा।

(2) निदेश में, ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे ऐसा निदेश दिया जाता है, की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति और समय जिसके भीतर उसका अनुपालन किया जाना है, विनिर्दिष्ट होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसे कोई निदेश दिया जाना है, प्रस्तावित निदेश की एक प्रति दी जाएगी और सूचना तामील की जाने की तारीख से पन्द्रह दिन से अन्यून का अवसर, इस निमित्त पदाभिहित अधिकारी के पास प्रस्तावित निदेश जारी किए जाने के बारे में आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल करने दिया जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, आक्षेप की, यदि कोई हो, प्राप्ति की तारीख से या उस तारीख से जिस तक किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को आक्षेप फाइल करने का अवसर दिया जाता है, इसमें जो भी पूर्वतर हो, 45 दिन की अवधि के भीतर, निदेश दिए जाने वाले व्यक्ति अधिकारी या प्राधिकारी से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे प्रस्तावित निदेश की पुष्टि करेगी, उपांतरित करेगी या जारी न की जाने का विनिश्चय करेगी।

(5) ऐसी दशा में जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि पर्यावरण को गंभीर क्षति होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित निदेश के विरुद्ध आक्षेप कारण करने का अवसर दिया जाना समीचीन नहीं है, वहां वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं ऐसा अवसर दिए बिना, निदेश जारी कर सकेगी।

(6) इस नियम के अधीन जारी की जाने के लिए अपेक्षित प्रत्यक सूचना या निदेश के बारे में सम्यक रूप से तामील किया गया समझा जाएगा—

(क) जहां ऐसा व्यक्ति जिसे सूचना या निदेश तामील किया जाना है, कंपनी है वहां, यदि दस्तावेज कंपनी के नाम से उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या मुख्य कार्यालय, या कारबार के स्थान के पते पर

(i) या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है; या

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर या मुख्य कार्यालय पर या कारोबार के स्थान पर परिदत्त किया जाता है;

(ख) जहां ऐसा व्यक्ति जिसे सूचना या निदेश तामील किया जाना है, सरकारी सेवा का अधिकारी है, वहां यदि व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज और उसकी एक प्रति, यथास्थिति, विभागाध्यक्ष को और सरकार के सचिव को भी, जो उस विभाग

का भारसाधक है, जहाँ उस विभाग से जिसमें अधिकारी नियोजित है, संबंधित कारबार का तत्समय ए7 संव्यवहार किया जाता है,

(i) या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, या

(ii) उसे दिया जाता है अथवा निविदत्त किया जाता जाता है:

(ग) किसी अन्य दशा में, यदि दस्तावेज तामिल किए जाने वाले व्यक्ति के पते पर है और :—

(i) उसे दिया जाता है, या निविदत्त किया जाता है, या

(ii) यदि ऐसा व्यक्ति पाया नहीं जा सकता तो उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान या कारबार के सहजदृश्य भाग पर चिपकाया दिया जाता है या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य को दिया जाता है या निविदत्त किया जाता है या उस भूमि या भवन यदि कोई हो जिससे यह संबंधित है के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका दिया जाता है, या

(iii) उस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम है;

(ख) कोई "सेवक" कुटुम्ब का सदस्य नहीं है ।

5. उद्योगों के अवस्थान पर प्रतिषेध और निर्बन्धन तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रसंस्करणों और संक्रियाओं का चलाया जाना :

(1) केन्द्रीय सरकार उद्योगों के अवस्थानों को प्रतिषिद्ध और निर्बन्धित करते समय और विभिन्न क्षेत्रों में प्रसंस्करणों और संक्रियाओं को चलाने के समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख सकेगी, अर्थात् :—

(i) किसी क्षेत्र के लिए अधिकथित विभिन्न पहलुओं में पर्यावरण की क्वालिटी के लिए मानक ।

(ii) किसी क्षेत्र के लिए विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों के (इसमें शोर भी सम्मिलित है) संकेन्द्रण की अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं ।

(iii) किसी उद्योग, संक्रिया या प्रसंस्करण से पर्यावरण प्रदूषकों का सम्भावित उत्सर्जन या निस्सारण जिन्हें प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने का प्रस्ताव है ।

(iv) किसी क्षेत्र के स्थानाकृति जलवायु की खास बात ।

(v) किसी क्षेत्र की प्राणि विज्ञान संबंधी विविधता जिसे केन्द्रीय सरकार की राय में परिरक्षित रखने की आवश्यकता है ।

(vi) भूमि का पर्यावरणिक रूप से संगत उपयोग ।

(vii) प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित किए जाने वाले प्रस्तावित किसी उद्योग प्रसंस्करण या संक्रिया द्वारा होने वाले सम्भावित शुद्ध, प्रतिकूल पर्यावरणिक प्रभाव ।

(viii) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन संरक्षित क्षेत्र से या वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन उस रूप में अधिसूचित अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, आखेट स्थल या बंद क्षेत्र से अथवा किसी अन्य देश या देशों के साथ या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए विनिश्चय के अनुसरण में की गई किसी संधि, करार या कन्वेंशन के अधीन संरक्षित स्थानों से सन्निकटता ।

(xi) मनुष्यों की बस्ती से सन्निकटता ।

(x) कोई अन्य विषय जिसे केन्द्रीय सरकार किसी क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुसंगत समझे ।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी क्षेत्र में उद्योगों के अवस्थान को और प्रसंस्करणों और संक्रियाओं को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करते समय इसमें इसके पश्चात् अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ।

(3) (क) केन्द्रीय सरकार को जब कभी ऐसा प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र में किसी उद्योग के अवस्थान पर या किन्हीं प्रसंस्करणों और संक्रियाओं के चलाए जाने पर प्रतिषेध या निर्बन्धित अधिरोपित करना समीचीन है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी रीति से जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय पर उचित समझे, ऐसा करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी ।

(ख) खंड (क) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में, उस क्षेत्र के बारे में जिससे अधिसूचना संबंधित है, क्षेत्र, उद्योगों, संक्रियाओं, प्रसंस्करणों का संक्षिप्त विवरण होगा और उस क्षेत्र से उद्योगों के अवस्थान पर और प्रसंस्करणों या संक्रियाओं से चलाए जाने पर प्रतिबंध या निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने के कारणों को भी विनिर्दिष्ट करेगी ।

(ग) खंड (क) के अधीन यथा अधिसूचित प्रसंस्करणों या संक्रियाओं पर प्रतिषेध या निर्बन्धन के अतिरोपण के विरुद्ध आक्षेप फाइल करने के लिए हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में आक्षेप फाइल कर सकेगा ।

(घ) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी अधिसूचना के विरुद्ध प्राप्त सभी आक्षेपों पर विचार करेगी और किसी क्षेत्र में ऐसे उद्योगों के अवस्थान और किसी प्रसंस्करण संक्रिया के चलाए जाने पर प्रतिषेध या निर्बन्धन अधिरोपित करेगी ।

6. नमूने लेने की प्रक्रिया:—केन्द्रीय सरकार या धारा 11 के अधीन नमूने लेने के लिए सशक्त अधिकारी एक समान तीन भागों में विभाजित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नमूना एकत्रित करेगा और उन्हें प्रभावी रूप से सील बन्द करेगा और उचित रूप से उन्हें चिन्हित करेगा तथा उस व्यक्ति को, जिससे नमूना लिया गया है, इस प्रकार सीलबन्द या चिन्हित सभी भागों या उनमें से किसी भाग पर अपनी सील या चिन्ह लगाने देगा। यदि नमूना छोटे परिमाण के आधानों में बनाया जाता है और यदि वह अनावृत्त रहे तो उसके क्षय होने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, तो केन्द्रीय सरकार या सशक्त अधिकारी—, आधानों को खोले बिना उक्त नमूनों के तीन नमूने लेगा और उन्हें उचित रूप से सील बन्द और चिन्हित करेगा । केन्द्रीय सरकार का सशक्त अधिकारी इस प्रकार एकत्रित नमूनों का व्ययन निम्नलिखित रूप से करेगा अर्थात् :—

(1) एक भाग अभिस्वीकृति सहित उस व्यक्ति को सौंपा जाएगा जिससे नमूना लिया गया है ;

(2) दूसरा भाग तुरंत विश्लेषण के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशाला को भेजा जाएगा और ;

(3) अन्तिम भाग ऐसे न्यायालय में जिसके समक्ष कार्यवाहियां यदि कोई हों, संस्थित की जानी है, प्रस्तुत करने के लिए प्रतिधारित करेगा ।

7. सूचना की तामील :—केन्द्रीय सरकार या सशक्त अधिकारी नमूने को विश्लेषित करने के अपने आशय को प्ररूप 1 में उसी समय उस स्थान के अभिभोगी या उसके अभिकर्ता या भारसाधक व्यक्ति को सूचना तामील करेगी/करेगा ।

8. विश्लेषण के लिए नमूनों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, और उन पर प्रयोगशाला रिपोर्ट का प्ररूप :

(1) विश्लेषण के लिए लिया गया नमूना केन्द्रीय सरकार या सशक्त अधिकारी द्वारा रजिस्ट्री डाक से या विशेष संवाहक के माध्यम से प्ररूप 2 के साथ पर्यावरणीय प्रयोगशाला को भेजा जाएगा ।

(2) प्ररूप 2 की एक अन्य प्रति, नमूने लेने के लिए सशक्त अधिकारी की मुद्राओं की छाप के नमूने के साथ उस व्यक्ति के जिससे नमूना लिया गया है, मुद्राओं/चिन्हों, यदि कोई हो, के साथ सीलबन्द लिफाफे में पृथक्त रजिस्ट्री डाक से या विशेष संवाहक के माध्यम से, पर्यावरणीय प्रयोगशाला को भेजी जाएगी ।

(3) निष्कर्ष को तीन प्रतियों में प्ररूप III में अभिलिखित किया जाएगा और सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस अधिकारी को भेज दिया जाएगा जिससे नमूना विश्लेषण के लिए प्राप्त हुआ है ।

(4) सरकारी विश्लेषक के निष्कर्षों की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, अधिकारी रिपोर्ट की एक प्रति उस व्यक्ति को भेजेगा जिससे विश्लेषण के लिए नमूना लिया गया था, दूसरी प्रति अपने अभिलेख के लिए प्रतिधारित करेगा और तीसरी प्रति उस न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी जिसके समक्ष, कार्यवाहियां यदि कोई हो, संस्थित की जानी हैं ।

9. पर्यावरणीय प्रयोगशाला के कृत्य :—पर्यावरणीय प्रयोगशाला के कृत्य निम्नलिखित होंगे अर्थात् :—

(i) पर्यावरणीय प्रदूषकों के विभिन्न प्रकारों के नमूने लेने और विश्लेषण के लिए मानकीकृत पद्धति विकसित करना ।

(ii) केन्द्रीय सरकार या धारा ii की उपधारा (1) के अधीन सशक्त अधिकारियों द्वारा भेजे गए नमूनों का विश्लेषण करना ।

(iii) ऐसे विश्लेषण करना, जो पर्यावरणीय क्वालिटी और पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सारण के लिए मानक अधिकथित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश दिए जाए ; अधिकथित मानकों को मानिटर करना और प्रवर्तित करना ;

(iv) अपने क्रियाकलापों के बारे में केन्द्रीय सरकार को कालिक रिपोर्ट भेजना ।

(v) ऐसे अन्य कृत्य करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं ।

10. सरकारी विश्लेषक की अर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति तब तक सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित या मान्यता प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) पर्यावरणीय अन्वेषणों, परीक्षण या विश्लेषण में लगी हुई किसी प्रयोगशाला में पांच वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान का स्नातक न हो; या

(ख) पर्यावरणीय अन्वेषणों, परीक्षण या विश्लेषण में लगी हुई किसी प्रयोगशाला में दो वर्ष के अनुभव के साथ विज्ञान का स्नातकोत्तर, इंजीनियरी का स्नातक या आयुर्विज्ञान का स्नातक या उसके समतुल्य न हो ;

(ग) पर्यावरणीय अन्वेषण, परीक्षण या विश्लेषण में लगी हुई किसी प्रयोगशाला में दो वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरणीय विज्ञान का स्नातकोत्तर न हो ।

11. सूचना देने की रीति :—धारा 19 के खंड (ख) के अधीन सूचना देने की रीति निम्नलिखित होगी, अर्थात्:—

(1) सूचना प्ररूप 4 में लिखित रूप में होगी ।

(2) सूचना देने वाला व्यक्ति, सूचना

(क) यदि अभिकथित अपराध किसी संघ राज्य-क्षेत्र में हुआ है तो—

(अ) केन्द्रीय बोर्ड को; और

(आ) पर्यावरण और वन मंत्रालय (जिस का प्रतिनिधित्व सचिव, भारत सरकार द्वारा किया जाता है) को ;

(ख) यदि अभिकथित अपराध किसी राज्य में हुआ है, तो—

(अ) राज्य बोर्ड को, और

(आ) राज्य सरकार (जिसका प्रतिनिधित्व राज्य सरकार के पर्यावरण के भारसाधक सचिव, द्वारा किया जाता है) को; और

(इ) पर्यावरण और वन मंत्रालय (जिसका प्रतिनिधित्व सचिव, भारत सरकार द्वारा किया जाता है) को, भेजी जा सकेगी ।

(3) सूचना रसीदी रजिस्ट्री डाक से भेजी जाएगी ; और

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के खंड (ख) में उल्लिखित साठ दिन की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिसको ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा प्रथमतः वह प्राप्त की जाती है ।

अनुसूची

(नियम 3 देखिए)

क्रम संख्या	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
1.	कास्टिक सोडा उद्योग		(पी एच और प्रवाह को छोड़कर) सकेन्द्रण प्रतिलिटर मिलीग्राम से अधिक न हो
		अंतिम बहिस्राव में पारद का—कुल संकेन्द्रणम	*0.01
		पारद धारण किए अपशिष्ट-जल उत्पादन (धारा)	उत्पादित कास्टिक सोडा का 10 किलोलीटर/टन
		पी एच	5.5 से 9.0
		*अंतिम बहिस्राव (क) तेल कोष्ठिका—(ख) लवण जल संयंत्र, (ग) क्लोरीन हथालन हाइड्रोजन हथालन (ड) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संयंत्र से संयुक्त बहिस्राव है ।	

1	2	3		4
2.	मानव रचित फाइबर (सेमिलष्ट)			(पी एच को छोड़कर) संकेन्द्रण प्रतिलीटर मिलीग्राम से अधिक न हो
		निलम्बित पिंडे	100	
		जैव रासायनिक आक्सीजन डिमान्ड 5 डे 20° सी	30	
		पी एच		5.5 से 9.0
3.	तेल शोधक उद्योग	(पी एच को छोड़कर) संकेन्द्रण प्रतिलीटर मिलीग्राम से अधिक न हो		क्वांटम, कि. ग्रा./ 1000 टन अपरिष्कृत प्रसंस्कृत
		तेल-और ग्रीज	10	7
		फनाल	1	0.7
		सल्फाइड	0.5	0.35
		जैव रसायन आक्सीजन डिमांड 5 डे 20° सी	15	10.5
		निलम्बित पिंडें	20	14
		पी एच	6 से 8.5	
4.	चीनी उद्योग	संकेन्द्रण प्रतिलीटर मिलीग्राम से अधिक न हो		
	जैव रसायन आक्सीजन डिमान्ड 5 डे 20° सी	100 भूमि पर व्यय के लिए		
		30 जल सतह पर व्ययन के लिए		
	निलंबित पिंड—	100 भूमि पर व्ययन के लिए		
		30 जल सतह पर व्ययन के लिए		
5.	तापीय शक्ति संयंत्र			(पी एच और ताप को छोड़कर) अधिकतम परिसीमक संकेन्द्रण प्रति लीटर/मिलीग्राम
	संधारित्र जल			
	शीतलन (शीतलन प्रणाली के माध्यम से एक बार)	पी एच		6.5—8.5
		ताप		अन्तर्ग्रहीत जलताप से 50° सी उच्चतर से अधिक न हो ।
		नि:शुल्क उपलब्ध क्लोरीन		0.5
	बायलर	निलम्बित पिंडे		100.0
	भवधमन	तेल और ग्रीज		20.0
		ताम्बा (कुल)		1.00
		लोहा (कुल)		1.00

1	3	4
शीतलन टावर	निःशुल्क उपलब्ध	
अवधमन	क्लोरीन	0.5
	जस्ता	1.0
	कुल क्रोमियम	0.2
	फास्फेट	5.0
	अन्य संक्षारण निरोधी वस्तु	सीमा, मामला प्रति मामला के आधार पर संघ राज्य क्षेत्रों की दशा में केन्द्रीय बोर्ड और राज्यों की दशा में, राज्य बोर्डों द्वारा स्थापित की जाएगी।
गर्म तालाब बहिस्राव	पी एच	6.5—8.5
	निलम्बित पिंडें	100
	तेल और ग्रीज	20
6. सूती टक्सटाइल उद्योग (मिश्र और परिस्कारक)		संकेन्द्रण प्रतिलीटर, मिलीग्राम से अधिक न हो (पी एच और जैव-आमापन को छोड़कर)
	सामान्य	
	पी एच	5.5 से 9
	निलम्बित पिंडें	100
	जैव रासायनिक आक्सीजन डिमाण्ड 5 ड 20° सी	150
	तेल और ग्रीज	10
	जैव-आमापन आंच	96 घटों के पश्चात् मछली का जीवित रहना 90%
	विशेष	
	कुल क्रोमियम (सी आर के रूप में)	2
	सल्फाइड (एस के रूप में)	2
	फीनालिक घोल ($सी_6$ $एच_5$ ओ एच के रूप में)	5

विशेष पैरामीटर उद्योग में रंजक उपयोग करने पर निर्भर करते हुए संघ राज्य क्षेत्रों की दशा में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा और राज्यों की दशा में राज्य बोर्डों द्वारा नियत किए जाएंगे। यदि उद्योग रंजन/मुद्रण प्रसंस्करण में क्रमशः क्रोम-रंजकों, सल्फर रंजकों या फिनालिक मिश्रण उपयोग करता है तो सीमा 2 मि. ग्रा. क्रोमियम और 5 मि. ग्रा./लिटर फिनालिक मिश्रणों पर अधिरोपित की जाएगी।

जहां प्रतिग्राह्यता प्रणाली की क्वालिटी अपेक्षा ऐसी मांग करती, तो वहां बी ओ डी सीमा राज्यों के लिए राज्य बोर्डों द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अपेक्षानुसार 30 तक नीचे लानी चाहिए।

यदि बहिस्राव का व्ययन भूमि पर किया जाना है तो 26 के सोडियम आमेलन अनुपात पर सीमा राज्यों के लिए राज्य बोर्डों द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

1	2	3	4
7.	मिश्र ऊनी मिलें		(पी एच और जैवमापन को छोड़कर) संकेन्द्रण प्रति लिटर मिली-ग्राम से अधिक न हो ।
		सामान्य	
		निलंबित पिंड	100
		पी एच	5.5 से 9.0
		जैव-रासायनिक	
		आक्सीजन डिमांड	
		5 से 20° सी	100
		तेल और ग्रीज	10
		जैव आमापन	96 घंटे के पश्चात् 90 प्रतिशत मछलियों का जीवित रहना ।
		विशेष	
		कुल क्रोमियम	
		(सी आर के रूप में)	2
		सल्फाइड (एस के रूप में)	2
		फिनालिक मिश्रण	
		(C_6 H_5 ओ एच के रूप में)	5

विशेष पैरामीटर उद्योग में रंजक उपयोग करने पर निर्भर करते हुए संघ राज्य क्षेत्र की दशा में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा और राज्यों की दशा में राज्य बोर्डों द्वारा नियत किए जाएंगे ।

2 मि. ग्रा. लिटर के क्रोमियम, 2 मि. ग्रा./लिटर के सल्फाइड और 5 मि. ग्रा./लिटर के फिनालिक मिश्रणों पर सीमा अधिरोपित की जाएगी यदि उद्योग रंजक/मुद्रण प्रसंस्करण में क्रमशः क्रोम रंजक, सल्फर रंजक और/या फिनालिक मिश्रण उपयोग करता है ।

जहां प्रति ग्राह्यता पद्धति की क्वालिटी अपेक्षा ऐसी मांग करती है वहां बीओडी सीमा राज्यों के लिए राज्य बोर्डों द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अपेक्षानुसार 30 तक नीचे लानी चाहिए ।

यदि बहिस्राव का व्ययन भूमि पर किया जाना है तो 26 के सोडियम आमेलन अनुपातन पर सीमा राज्यों के लिए राज्य बोर्डों द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिरोपित की जानी चाहिए ।

परिशिष्ट (क)

प्रारूप I

(नियम 7 देखिए)

नमूने को विश्लेषित कराने के आशय की सूचना

सेवा में,

.....

.....

..... के नमूने को, जो .....

..... *से आज, तारीख

..... 19..... को लिया गया है, विश्लेषित कराने के आशय की सूचना दी जाती है।

(उस व्यक्ति का नाम और पदनाम जो नमूना लेता है)

(मुद्रा)

तारीख .....

*वह स्थान विनिर्दिष्ट कीजिए जहां से नमूना लिया गया है।

प्रारूप II

(नियम 8 देखिए)

सरकारी विश्लेषक के लिए ज्ञापन

प्रेषक

.....

.....

सेवा में,

सरकारी विश्लेषक

.....

.....

नमूने का भाग जिसका वर्णन नीचे किया गया है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 6 के अधीन विश्लेषण के लिए भेजा जा रहा है।

नमूने का भाग निम्नलिखित चिह्न के साथ मेरे द्वारा चिह्नित किया गया है :–

लिए गए नमूने के भाग के ब्यौरे :–

नमूना भेजने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम

तारीख .....

(मुद्रा)

प्ररूप III

(नियम 8 देखिए)

सरकारी विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट

रिपोर्ट सं. . . . .

तारीख . . . .

मैं प्रमाणित करता हूं कि, मैं, ... जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 13 के अधीन सरकारी विश्लेषक के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है विश्लेषण के लिए . . . . . का एक नमूना * . . . . से तारीख . . . . 19. . . . . को मैंने प्राप्त किया था।

नमूना, नीचे रिपोर्ट किए विश्लेषण के लिए ठीक हालत में था।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने . . . . का पूर्वोलिखित नमूने का विश्लेषण किया है और विश्लेषण का परिणाम निम्नलिखित रूप में घोषित करता हूं :

** . . . .

. . . .

प्राप्ति पर सीलों की दशा, नमूने का कसाव निम्नानुसार था . . . .
. . . .

आज, तारीख . . . . 19. . . . . को हस्ताक्षर किए।
पता . . . .

हस्ताक्षर

(सरकारी विश्लेषक)

सेवा में,

. . . .

. . . .

. . . .

* यहां उस अधिकारी/प्राधिकारी का नाम लिखिए जिससे नमूना प्राप्त हुआ था।

** यहां विश्लेषण के पूरे ब्यौरे लिखिए और विश्लेषण की पद्धति का निर्देश करें।

प्रारूप IV

(नियम 11 देखिए)

सूचना का प्रारूप

रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा

प्रेषक :— (1)

श्री ....

....

....

सेवा में,

....

....

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(ख) के अधीन सूचना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन एक अपराध .... (2) द्वारा किया गया है /किया जा रहा है। मैं/हम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा .... के अतिक्रमण के लिए .... (2) के विरुद्ध न्यायालय में एक परिवाद फाइल करने के लिए अपने आशय की पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (ख) के अधीन 60 दिन की सूचना देता हूं/देते हैं।

अपनी सूचना के समर्थन में, मैं/हम पर्यावरण (संरक्षण) के अतिक्रमण के सबूत के साक्ष्य स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज (3) संलग्न कर रहा हूं/रहे हैं।

स्थान ....

तारीख ....

हस्ताक्षर

स्पष्टीकरण

(1) यदि सूचना कंपनी के नाम दी जाती है तो कंपनी की ओर से सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाला दस्तावेजी साक्ष्य इस सूचना के साथ संलग्न किया जाएगा।

इस प्रयोजन के लिए कंपनी से, नियम 4 के उपनियम (6) के स्पष्टीकरण में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है।

(2) यहां अभिकथित अपराधी का नाम और पता लिखें। विनिर्माता/प्रसंस्करण/प्रचालन यूनिट के मामले में नाम/अवस्थान/क्रियाकलाप की प्रकृति आदि लिखें।

(3) अभिकथित अतिक्रमण/अपराध की जांच के लिए समर्थ बनाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत फोटो/तकनीकी रिपोर्ट/क्षेत्र का स्वास्थ्य रिपोर्ट, आदि आती हैं।

[सं. 1 (18)/86—पी एल]

नि. ना. शेषन, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

New Delhi, the 19th November, 1986

NOTIFICATION

S.O. 844(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :—

(i) These rules may be called the Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.Definittions :—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) "Central Board" means the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution constituted under section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(c) "Form" means a form set forth in Appendix A to these rules;

(d) "Government Analyst" means a person appointed or recognized as such under section 13;

(e) "person" in relation to any factory or premises means a person or occupier or his agent who has control over the affairs of the factory or premises and includes in relation to any substance, the person in possession of the substance.

(f) "recipient system" means the part of the environment such as soil, water, air or other which receives the pollutants;

(g) "section" means a section of the Act;

(h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(i) "Standards" means standards prescribed under these rules;

(j) "State Board" means a State Board for the Prevention and Control of Water Pollution Constituted under section 4 of the Water (Prevention and Control of Water Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) or a State Board for the Prevention and Control of Air Pollution constituted under section 5 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);

3. Standards for emission or discharge of environmental pollutants :

(1) For the purposes of protecting and improving the quality of the environment and preventing and abating environmental pollution, the Standards for emission or discharge of environmental pollutatns from the industries, operations or processes shall be as specified in the Schedule :

Provided where an industry, operation or process has been gratned time by the Central Board or a State Board to implement a time bound programme to treat the environmental pollutants so as to bring them to the standards prescribed under these rules after specifying certain conditions and where such an industry, operation or process by adhering strictly to such stipulations specified by the Central or the State Board discharges environmental pollutants in excess of the prescribed standards during such period of such time-bound programme, such discharge shall not be considered as an offence under the Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Cetnral Board or a State Board may specify more stringent standards from those provided in the Schedule in respect of any specific industry, operation or process depending upon the quality of the recipient system and after recording reasons therefor in writing.

4. Directions :.

(1) Any direction issued under section 5 shall be in writing.

(2) The direction shall specify the nature of action to be taken and the time within which it shall be complied with by the person, officer or the authority to whom such direction is given.

(3) The person, officer or authority to whom any direction is sought to be issued shall be served with a copy of the proposed direction and shall be given an opportuinty of not less than fifteen days from the date of service of a notice to file with an officer designated in this behalf the objections, if any, to the issue of the proposed direction.

(4) The Central Government shall within a period of 45 days from the date of receipt of the objections, if any, or from the date upto which an opportunity is given to the person, officer or authority to file objections whichever is earlier, after considering the objections, if any, received from the person, officer or authority sought to be directed and for reasons to be recorded in writing, confirm, modify or decide not to issue the proposed direction.

(5) In a case where the Central Government is of the opinion that in view of the likelihood of a grave injury to the environment it is not expedient to provide an opportunity to file objections against the proposed direction, it may, for reasons to be recorded in writing, issue directions without providing such an opportunity.

(6) Every notice or direction required to be issued under this rule shall be deemed to be duly served—

(a) where the person to be served is a company, if the document is addressed in the name of the company at its registered

office or at its principal office or place of business and is either—

(i) sent by registered post, or

(ii) delivered at its registered office or at the pirncipal office or place of business;

(b) where the person to be served is an officer serving Government, if the document is addressed to the person and a copy thereof is endorsed to this Head of the Department and also to the Secretary to the Government, as the case may be, incharge of the Department in which for the time being the business relating to the Department in which the officer is employed is transacted and is either—

(i) sent by registered post, or

(ii) is given or tendered to him;

(c) in any other case, if the document is addressed to the person to be served and—

(i) is given or tendered to him, or

(ii) if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building, if any, to which it relates, or

(iii) is sent by registered post to that person.

Explanation :—For the purposes of this sub-rule,—

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals;

(b) "a servant" is not a member of the family.

5. Prohibition and restriction on the location of industries and the carrying on processes and operations in different areas :

(1) The Central Government may take into consideration the following factors while prohibiting or restricting the location of industries and carrying on of processes and operations in different areas :—

(i) Standards for quality of environment in its various aspects laid down for an area.

(ii) The maximum allowable limits of concentration of various environmental pollutants (including noise) for an area.

(iii) The likely emission or discharge of environmental pollutants from an industry, process or operation proposed to be prohibited or restricted.

(iv) The topographic and climatic features of an area.

(v) The biological diversity of the area which, in the opinion of the Central Government needs to be preserved.

(vi) Environmentally compatible land use.

(vii) Net adverse environmental impact likely to be caused by an industry, process or operation proposed to be prohibited or restricted.

(viii) Proximity to a protected area under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 or a sanctuary, National Park, game reserve or closed area notified as such under the Wild Life (Protection) Act, 1972 or places protected under any treaty, agreement or convention with any other country or countries or in pursuance of any decision made in any international conference, association or other body.

(ix) Proximity to human settlements.

(x) Any other factor as may be considered by the Central Government to be relevant to the protection of the environment in an area.

(2) While prohibiting or restricting the location of industries and carrying on of processes and operations in an area, the Central Government shall follow the procedure hereinafter laid down.

(3) (a) Whenever it appears to the Central Government that it is expedient to impose prohibition or restrictions on the location of an industry or the carrying on of processes and operations in an area, it may, by notification in the Official Gazette and in such other manner as the Central Government may deem necessary from time to time, give notice of its intention to do so.

(b) Every notification under clause (a) shall give a brief description of the area, the industries, operations, processes in that area about which such notification pertains and also specify the reasons for the imposition of prohibition or restrictions on the location of the industries and carrying on of processes or operations in that area.

(c) Any person interested in filing an objection against the imposition of prohibition or restrictions on carrying on of processes or operations as notified under clause (a) may do so in writing to the Central Government within sixty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

(d) The Central Government shall within a period of one hundred and twenty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette consider all the objections received against such notification and may impose prohibition or restrictions on location of such industries and the carrying on of any process or operation in an area.

6. Procedure for taking samples :

The Central Government or the officer empowered to take samples under section 11 shall collect the sample in sufficient quantity to be divided into three uniform parts and effectively seal and suitably mark the same and permit the person from whom the sample is taken to add his own seal or mark to all or any of the portions so sealed and marked. In case where the sample is made up in containers of small volumes and is likely to deteriorate or be otherwise damaged if exposed, the Central Government or the officer empowered shall take three of the said samples without opening the containers and suitably sea and mark the same. The Central Government or the officer empowered shall dispose of the samples so collected as follows :—

(i) One portion shall be handed over to the person from whom the sample is taken under acknowledgement;

(ii) the other portion shall be sent forthwith to the environmental laboratory for analysis; and

(iii) the last portion shall be retained by him to be produced in the Court before which proceedings, if any, are instituted.

7. Service of notice :

The Central Government or the officer empowered shall serve on the occupier or his agent or person in charge of the place a notice then and there in Form I of his intention to have the sample analysed.

8. Procedure for submission of samples for analysis, and the form of laboratory report thereon :

(1) Sample taken for analysis shall be sent by the Central Government or the officer empowered to the environmental laboratory by registered post or through special messenger along with Form II.

(2) Another copy of Form II together with specimen impression of seals of the officer empowered to take samples along with the seals/marks, if any, of the person from whom the sample is taken shall be sent separately in a sealed cover by registered post or through a special messenger to the environmental laboratory.

(3) The findings shall be recorded in Form III in triplicate and signed by the Government Analyst and sent to the officer from whom the sample is received for analysis.

(4) On receipt of the report of the findings of the Government Analyst, the officer shall send one copy of the report to the person from whom the sample was taken for analysis, the second copy shall be retained by him for his records and the third copy shall be kept by him to be produced in the Court before which proceedings, if any, are instituted.

9. Functions of environmental laboratories :

The following shall be the functions of environmental laboratories :—

(i) to evolve standardised methods for sampling and analysis of various types of environmental pollutants;

(ii) to analyse samples sent by the Central Government or the officers empowered under sub-section (1) of section 11.

(iii) to carry out such investigations as may be directed by the Central Government to lay down standards for the quality of environment and discharge of environmental pollutants, to monitor and to enforce the standards laid down;

(iv) to send periodical reports regarding its activities to the Central Government;

(v) to carry out such other functions as may be entrusted to it by the Central Government from time to time.

10. Qualifications of Government Analyst :

A person shall not be qualified for appointment or recognised as a Government Analyst unless he is a :—

(a) graduate in science from a recognised university with five years experience in a laboratory engaged in environmental investigations, testing or analysis; or

(b) post-graduate in science or a graduate in engineering or a graduate in medicine or equivalent with two years experience in a laboratory engaged in environmental investigations, testing or analysis; or

(c) post-graduate in environmental science from a recognized university with two years experience in a laboratory engaged in environmental investigations, testing or analysis.

11. Manner of giving notice :

The manner of giving notice under clause (b) of section 19 shall be as follows, namely :—

(1) The notice shall be in writing in Form IV.

(2) The person giving notice may send notice to,—

(a) if the alleged offence has taken place in a Union territory :—

(A) the Central Board; and

(B) Ministry of Environment and Forests (represented by the Secretary to the Government of India);

(b) if the alleged offence has taken place in a State :—

(A) the State Board; and

(B) the Government of the State (represented by the Secretary to the State Government incharge of environment); and

(C) the Ministry of Environment and Forests (represented by the Secretary to the Government of India);

(3) The notice shall be sent by registered post acknowledgement due; and

(4) The period of sixty days mentioned in clause (b) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be reckoned from the date it is first received by one of the authorities mentioned above.

SCHEDULE

(See rule 3)

Ser. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
1.	Caustic Soda Industry		Concentration not to exceed, milligramme per litre (except for pH and flow)
		Total concentration of mercury in the final effluent*	0.01
		Mercury bearing waste-water generation (flow)	10 kilolitres/tonne of caustic soda produced
		pH	5.5 to 9.0
		* Final effluent is the combined effluent from (a) cell house, (b) brine plant, (c) chlorine handling (d) hydrogen handling (e) hydrochloric acid plant	
2.	Man-made fibres (synthetic)		Concentration not to exceed milligramme per litre (except for pH)
		Suspended solids	100
		Bio-chemical oxygen demand, 5 day 20° C	30
		pH	5.5 to 9.0
3.	Oil refinery industry	Concentration, not to exceed, milligramme per litre (except for pH)	Quantum, kg/1000 tonnes crude processed.
		Oil and grease	10 — 7
		Phenol	1 — 0.7
		Sulphide	0.5 — 0.35
		Bio-chemical oxygen demand, 5 day 20° C	15 — 10.5
		suspended solids	20 — 14
		pH	6 to 8.5
4.	Sugar industry		Concentration not exceed, milligramme per litre
		Bio-chemical oxygen demand, 5 day 20° C	100 for disposal on land 30 for disposal in surface waters
		Suspended solids	100 for disposal on land 30 for disposal in surface waters.
5.	Thermal power plants		Maximum limiting concentration, milligramme per litre (except for pH and temperature)
	Condenser cooling waters (once through cooling system)	pH	6.5—8.5
		Temperature	Not more than 5°C higher than the intake water temperature.
		Free available chlorine	0.5
	Boiler blowdowns	Suspended solids	100
		Oil and grease	20
		copper (total)	1.0
		Iron (total)	1.0
	Cooling tower blowdown	Free available chlorine	0.5
		Zinc	1.0
		Chromium (total)	0.2
		Phosphate	5.0
		Other corrosion inhibiting material	Limit to be established on case by case basis by Central Board in case of Union territories and State Boards in case of States
	Ash pond effluent	pH	6.5 — 8.5
		Suspended solids	100
		Oil and grease	20

1	2	3	4
6.	Cotton textile industries (composite and processing)		Concentration not to exceed, milligramme per litre (except for pH and bio-assay)
		Common	
		pH	5.5 to 9
		Suspended solids	100
		Bio-chemical oxygen demand, 5 day 20° C	150
		Oil and grease	10
		Bio-assay test	90% survival of fish of after 96 hours
		Special :	
		Total chromium (as Cr)	2
		Sulphide (as S)	2
		Phenolic compounds (as C_6H_5OH)	5

The special parameters are to be stipulated by the Central Board in case of Union territoris and State Boards in case of States depending upon the dye used in the industry. Where the industry uses chrome dyes, sulphur dyes and/or phenolic compounds in the dyeing/printing process, the limits on chromium of 2 mg/litre, sulphides of 2 mg/litre and phenolic compounds of 5 mg/litre respectively shall be imposed.

Where the quality requirement of the recipient system so warrants, th limit of BOD should b; lowered upto 30 according to the requirement by the State Boards for the States and the Central Board for the Union territories.

A limit on sodium absorption ratio of 26 should be imposed by the State Boards for th States and the Central Board for the Union territories if the disposal of effluent is to be made on land.

7.	Composite woollen mills		Concentration not to exceed, milligramme per litre (except for pH and bio-assay)
	Common :		
		Suspended solids	100
		pH	5.5 to 9.0
		Bio-chemical oxygen demand, 5 day 20° C	100
		Oil and grease	10
		Bio-assay	90% survival of fish after 96 hours
	Special :		
		Total chromiinum (as Cr)	2
		Sulphide (as S)	2
		Phenolic compounds (as C_6H_5OH)	5

The special parameters are to be stipulated by the Central Board in case of Union territories and State Boards in case of States depending upon the dye used in the industry. Where the industry uses chrome dyes, sulphur dyes and/or phenolic compounds in the dysing/printing process, the limits on chromium of 2 mg/litre, sulphide of 2 mg/litre and phenolic compounds of 5 mg/litre respectively shall be imposed.

Where the quality requirement of the recipient system so warrants, the limit of BOD should be lowered upto 30 according to the requirement by the State Boards for the States and the Central Board for the Union territories.

A limit on sodium absorption ratio of 26 should be imposed by the State Boards for the States and the Central Board for the Union territories if the disposal of effluent is to be made on land.

APPENDIX A

FORM I

(See rule 7)

Notice of intention to have sample analysed

To

.....

.....

Take notice that it is intended to have analysed the sample of.....which has been taken today, the.....day of.....19 .....from .....

.....

(Name and designation of the person who takes the sample)

*specify the place from where the sample is taken.

(SEAL)

DATE

FORM II

(See rule 8)

MEMORANDUM TO GOVERNMENT ANALYST

From

.....

.....

To

The Government Analyst

.....

.....

The portion of sample described below is sent herewith for analysis (under rule 6 of the Environment (Protection) Rules, 1986.

The portion of the sample has been marked by me with the following mark :

Details of the portion of sample taken

Name and designation of person who sends sample

(SEAL)

Date.....

FORM III

(See rule 8)

REPORT BY GOVERNMENT ANALYST

Report No. .....

Date .....

I hereby certify that I..... Government Analyst duly appointed under section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 received on the..... .....day of.....19..... from.....

*..... a sample of.....for analysis. The sample was in a condition fit for analysis as reported below.

I further certify that I have analysed the aforementioned sample on.....and declare the result of the analysis to be as follows :

**.....

.....

The condition of seals, fastening of sample on receipt was as follows : .....

.....

.....

Signed this.....day of..... 19.....

Address..... Signature

To (Government Analyst)

.....

.....

.....

*Here write the name of the officer/authority from whom sample was obtained.

**Here write full details of analysis and refer to tmehod of analysis.

FORM IV

(See rule 11)

FORM OF NOTICE

By registered post acknowledgement due

Form (1)

Shri . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

To

. . . . . .

. . . . . .

Notice Under Section 19(b) of the Environment (Protection) Act, 1986

Whereas an offence under the Environment (Protection) Act, 1986 has been committed/is being committed by . . . . . .

. . . . . (2)

I/we hereby give notice of 60 days under section 19(b) of the Environment (Protection) Act, 1986 of my/our intention to file a complaint in the court against . . . . . .(2) for violation of section of the Environment (Protection) Act, 1986.

In support of my/our notice, I am/we are enclosing the following documents(3) as evidence of proof of violation of the Environment (Protection) Act, 1986.

Place . . . . . Signature(s)

Dated . . . . . .

Explanation :

(1) In case the notice is given in the name of a company, documentary evidence authorising the person to sign the notice on behalf of the company shall be enclosed to this notice.

Company for this purpose means a company defined in explanation to sub-rule (6) of rule 4.

(2) Here give the name and address of the alleged offender. In case of a manufacturing/processing/operating unit, indicate the name/location/nature of activity, etc.

(3) Documentary evidence shall include photographs/technical reports/thealth reports of he area, etc., for enabling enquiry into the alleged violation/offence.

[No. 1 (18)/86-PL]

T. N. SESHAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986